



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/969

दिनांक 05/04/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भ:-

1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-14/ 2020/ 10-2 दिनांक 03.02.2021
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 903 दिनांक 25.03.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 03 के अनुसार वन विभाग का 0.307 हे. वन क्षेत्र भी प्रकरण में आवेदित है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।	वन मंडलाधिकारी बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन प्रकरण का प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसमें प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के परिक्षेत्र, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के संबंध में त्रुटियां पाई गई है जिसके अनुसार आवेदित वन क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है: 1. मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत प्रभावित रकबा 1.906 हे. 2. बिलासपुर वन मंडल (सामान्य) बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत प्रभावित रकबा 4.863 हे. 3. राजस्व वन क्षेत्र रकबा 0.428 हे. योग - कुल प्रभावित वन क्षेत्र का रकबा 6.897 हे. विवरण संलग्न मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल

		बिलासपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। अनुलग्नक-1 (पृ 42 से 43 तक)
2.	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में प्रभावित गैर वन क्षेत्र का विवरण संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुसार 69.3247 हे. है। कृपया उपरोक्त गैर वनक्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रदायित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में प्रभावित गैर वन क्षेत्र का विवरण संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुसार 69.3247 हे. का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक-2 (पृ 43 से 44 तक)
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 21 में 1:15000 स्केल का नक्शा "इडेक्स मैप" के रूप में प्रस्ताव में संलग्न दर्शाया गया है किन्तु उक्त नक्शा प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 21 में 1:15000 का नक्शा संलग्न है। अनुलग्नक-3 (पृ 47 से 51 तक)
4.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है जबकि वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 50 में प्रदायित भाग-2 के बिन्दु क्रमांक i (iv) अनुसार यह 0.4 से 0.6 है।	टंकण त्रुटिवश घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया था जिसका सुधार कर घनत्व 0.5 किया गया है।
5.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 16 अनुसार जिले में विषयांकित प्रकरण के अनुरूप "एक" प्रकरण में वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है जबकि पृष्ठ क्रमांक 73 अनुसार यह जानकारी "NIL" है लेख किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	वन मंडलाधिकारी बिलासपुर वन मंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक 16, पृष्ठ क्रमांक 73 में यह जानकारी "NIL" लेख किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इस श्रेणी का किसी भी प्रकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 835 ए/ 970

रायपुर, दिनांक 05/04/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़